भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1690

(जिसका उत्तर सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया जाना है।)

"ऑटिज्म केंद्रों को जीएसटी से छूट"

1690. **सुश्री एस. जोतिमणि:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि मानसिक रुग्णता (ऑटिज्म) केंद्र, जो ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों को शिक्षा, देखभाल और परामर्श प्रदान करने वाली गैर-लाभकारी संस्थाएं हैं, को जीएसटी से छूट प्राप्त नहीं है;

(ख) क्या केवल मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों और गंभीर मानसिक या शारीरिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को दी जाने वाली स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की संस्थाओं को ही परोपकारी संस्थाएं माना जाता है और उन्हें जीएसटी से छूट दी जाती है;

(ग) क्या एक या एक से अधिक अंगों की अस्सी प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता ही गंभीर विकलांगता की श्रेणी में आती है;

(घ) क्या ऑटिज्म गंभीर विकलांगता की श्रेणी में नहीं आता है; और

(ङ) क्या सरकार का परोपकारी संस्था की परिभाषा का विस्तार करके इसमें ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करने वाली ऑटिज्म केंद्रों जैसी संस्थाओं को भी शामिल करने का प्रस्ताव है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (पंकज चौधरी)

(क) और (ख): माल एवं सेवा कर (जीएसटी) रूपरेखा के अंतर्गत दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 12/2017-केन्द्रीय कर (दर) में निम्नानुसार छूट प्रदान की गई है:

i. किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा अपने छात्रों, संकाय और कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं; [क्रम सं. 66]

"शैक्षणिक संस्थान" का अर्थ है, ऐसी संस्था जो निम्न प्रकार से सेवाएं प्रदान करती है,-

(i) प्री-स्कूल शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या समकक्ष तक की शिक्षा;

(ii) वर्तमान में लागू किसी कानून द्वारा मान्यता प्राप्त अर्हता प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम के भाग के रूप में शिक्षा;

(iii) अनुमोदित व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के भाग के रूप में शिक्षा;

ii. आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12कक [या 12कख] के तहत पंजीकृत संस्था द्वारा धर्मार्थ गतिविधियों के माध्यम से सेवाएं। [क्रम सं.1]

"धर्मार्थ गतिविधियों" का अर्थ है निम्नलिखित से संबंधित क्रियाकलाप-

(i) निम्नलिखित के माध्यम से जन स्वास्थ्य, -

(क) देखभाल या परामर्श

(I) गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों या गंभीर शारीरिक या मानसिक विकलांगता वाले व्यक्तियों

(II) एचआईवी या एड्स से पीड़ित व्यक्ति;

(III) नशीली दवाओं या शराब जैसे आदत बनाने वाले पदार्थ के व्यसनी व्यक्तियों की परिचर्या या परामर्श; या

(ख) निवारक स्वास्थ्य, परिवार नियोजन या एचआईवी संक्रमण की रोकथाम के बारे में सार्वजनिक जागरूकता;

(i) धर्म, आध्यात्मिकता या योग को बढ़ावा देना;

(ii) निम्नलिखित से संबंधित शैक्षणिक कार्यक्रम या कौशल विकास को आगे बढ़ावा देना;

(क) परित्यक्त, अनाथ या बेघर बच्चे;

(ख) शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित और आघातग्रस्त व्यक्ति; (ग) कैदी; या

(घ) ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति;

(iii) जलग्रहण क्षेत्र, वन और वन्य जीवन सहित पर्यावरण का संरक्षण;

iii. नैदानिक प्रतिष्ठान, अधिकृत चिकित्सा व्यवसायी या पराचिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के माध्यम से सेवाएं; [क्रम सं.74]

"नैदानिक प्रतिष्ठान" से तात्पर्य किसी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, सेनेटोरियम या किसी अन्य संस्थान से है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जो भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रणाली में बीमारी, चोट, विकृति, असामान्यता या गर्भावस्था के लिए निदान या उपचार या देखभाल की आवश्यकता वाली सेवाएं या सुविधाएं प्रदान करता है, या रोगों की नैदानिक या जांच सेवाएं प्रदान करने के लिए एक स्वतंत्र संस्था या प्रतिष्ठान के एक भाग के रूप में स्थापित स्थान है;

"स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं" का अर्थ भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रणाली में बीमारी, चोट, विकृति, असामान्यता या गर्भावस्था के निदान या उपचार या देखभाल के माध्यम से कोई भी सेवा है और इसमें रोगी को नैदानिक प्रतिष्ठान से लाने-ले जाने के माध्यम से की जाने वाली सेवाएं शामिल हैं, परंतु इसमें बाल प्रत्यारोपण या कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी शामिल नहीं है, सिवाय इसके कि अगर जन्मजात विकार, विकासात्मक असामान्यताओं, चोट या आघात के कारण प्रभावित शरीर की शारीरिक रचना या कार्यों को बहाल करने या पुनर्संरचना करने के लिए किया गया हो;

iv. भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 (1992 का 34) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त पुनर्वास पेशेवरों द्वारा पुनर्वास, चिकित्सा या परामर्श और उक्त अधिनियम द्वारा कवर की गई ऐसी अन्य गतिविधि के माध्यम से चिकित्सा प्रतिष्ठानों, शैक्षणिक संस्थानों, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12कक [अथवा 12कख] 123 के अंतर्गत पंजीकृत संस्था द्वारा स्थापित पुनर्वास केंद्रों में उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं। [क्रम सं. 74क]

(ग) और (घ): दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम 2016 की धारा 2(द), 2(ध) और 2(न) में "बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति", "दिव्यांग व्यक्ति" और "गहन सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांग व्यक्ति" को परिभाषित किया गया है। इसके अलावा, दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम 2016 की अनुसूची के अनुसार, "ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसआर्डर" का अर्थ एक तंत्रिका-विकासात्मक स्थिति है जो आमतौर पर जीवन के पहले तीन वर्षों में दिखाई देती है जो किसी व्यक्ति की संवाद करने, रिश्तों को समझने और दूसरों से जुड़ने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, और अक्सर असामान्य या रूढ़िवादी अनुष्ठानों या व्यवहारों से जुड़ी होती है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी निर्दिष्ट विकलांगता की सीमा का आकलन करने के लिए दिनांक 14.03.2024 को दिशानिर्देशों के अनुसार, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार (एएसडी) का निदान निम्नानुसार किया जा रहा है:

एएसडी का निदान डीएसएम-5-आधारित एम्स-संशोधित आईएनसीएलईएन डायग्नोस्टिक टूल द्वारा एएसडी के लिए स्थापित किया जा रहा है। ऑटिज्म के आकलन के भारतीय पैमाने का उपयोग ≥6 वर्ष के बच्चों में विकलांगता की गणना के लिए किया जाता है।

विकलांगता की गणना:

6 वर्ष से कम या इसके बराबर आयु के बच्चे

6 वर्ष से कम आयु वर्ग के सभी एएसडी वाले बच्चों का निर्धारण किया जाता है और उन्हें 60 से 79% (मध्यम ऑटिज्म) की विकलांगता दी जाती है। ऑटिज्म के आकलन के भारतीय पैमाने के अनुसार गंभीरता-आधारित विकलांगता गणना के लिए 6 वर्ष से कम या इसके समकक्ष आयु में उनका पुनः मूल्यांकन किया जाता है।

6 वर्ष से कम या उसके बराबर आयु के बच्चे/किशोर

ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसआर्डर के लिए गंभीरता-आधारित विकलांगता गणना ऑटिज्म के आकलन के भारतीय पैमाने पर आधारित होगी। विकलांगता का स्तर तालिका 1 के अनुसार होगा।

क्रम संख्या	ऑटिज्म स्कोर के आकलन का भारतीय पैमाना	विकलांगता प्रतिशत
1	हल्का ऑटिज़्म (आईएसएए स्कोर 70 से 106)	40 से 59% विकलांगता
2	मध्यम ऑटिज्म (आईएसएए स्कोर (107 से 153)	60 से 79% विकलांगता
3	गंभीर ऑटिज्म (आईएसएए स्कोर >153)	80% से कम या इसके बराबर की विकलांगता

(ङ) जीएसटी के अंतर्गत दी जाने वाली छूट के संबंध में, दरें और छूट जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर तय की जाती हैं, जो केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों का एक संवैधानिक संघीय निकाय है। जीएसटी परिषद की ऐसी कोई सिफारिश नहीं है।

*****